भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3177

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

तिरुचिरापल्ली के लिए एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण

+3177. श्री दुरई वाइकोः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी) के अंतर्गत चयनित तिरुचिरापल्ली के लिए एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना का प्रस्ताव पिछले कई वर्षों से लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या तिरुचिरापल्ली के लिए यूएमटीए की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार को कोई धनराशि, परिचालन संबंधी दिशानिर्देश या विधायी सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ग) क्या केन्द्र सरकार ने तिरुचिरापल्ली के लिए यूएमटीए ढांचे को पुनर्जीवित करने और क्रियाशील करने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हाँ, तो वर्तमान में प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इसे कार्यान्वित करने की अनुमानित समय-सीमा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार शहरी परिवहन में सुधार और विभिन्न परिवहन साधनों के एकीकरण में इसके महत्व को देखते हुए तिरुचिरापल्ली के लिए यूएमटीए के गठन में तेजी लाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): शहरी परिवहन शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, जो राज्य का विषय है। अतः, एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना, इसके कार्यान्वयन आदि की पहलें संबंधित शहरों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती हैं। शहरी परिवहन मामलों का केंद्रीय मंत्रालय होने के नाते, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने राष्ट्रीय शहरी

परिवहन नीति (एनयूटीपी 2006) अधिसूचित की है और शहरी परिवहन की व्यवस्थित योजना एवं स्थायी कार्यान्वयन के लिए एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) के मसौदा विधेयक सहित विभिन्न मार्गदर्शक नीतिगत फ्रेमवर्क दस्तावेज परिचालित किए हैं।